संख्या-835/2017/1988/22-2-2017-17(127)/2015

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 23 अक्टूबर, 2017***

विषय:- जिला कारागार, बाराबंकी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रंजीत यादव पुत्र श्री रूप नरायन यादव, निवासी जनपद-बाराबंकी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-29428/प्रोबेशन-7/सीमित सजावधि/(एम 22.06.2017) दिनांक 16.08.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, बाराबंकी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रंजीत यादव पुत्र श्री रूप नरायन यादव जो ग्राम-वीरमखेड़ा, थाना-लोनीकटरा, जनपद-बाराबंकी का रहने वाला है। दहेज में मोटरसाईकिल की मांग पूरी न होने के कारण बन्दी व उसके परिवार वाले संगीता के साथ मारपीट कर प्रताडित करते थे। दिनांक 10-09-2010 को बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर अपनी पत्नी संगीता की गला दबाकर हत्या की। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1154/2010 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी/34 एवं धारा-4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- कोर्ट संख्या-35, बाराबंकी के आदेश दिनांक 29.10.2011 द्वारा 10 वर्ष सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है जिसे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 17.06.2017 तक 06 वर्ष 09 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 08 वर्ष 03 माह 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा दहेज में मोटरसाईकिल की मांग पूरी न होने के कारण बन्दी व उसके परिवार वाले संगीता के साथ मारपीट कर प्रताडित करते थे। दिनांक 10-09-2010 को बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर अपनी पत्नी संगीता की गला दबाकर हत्या की। बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा अपनी पत्नी का गला दवाकर हत्या करने का जघन्य अपराध् कारित किया गया है। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रंजीत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

यादव पुत्र श्री रूप नरायन यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी रंजीत यादव (बन्दी संख्या-406/2011) पुत्र श्री रूप नरायन यादव, निवासी जनपद-बाराबंकी के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-835/2017/1988(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी।

2- अधीक्षक, जिला कारागार, बाराबंकी।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-835/2017/1988/22-2-2017-17(127)/2015

दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

जिला कारागार, बाराबंकी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी रंजीत यादव पुत्र श्री रूप नरायन यादव जो ग्राम-वीरमखेड़ा, थाना-लोनीकटरा, जनपद-बाराबंकी का रहने वाला है। दहेज में मोटरसाईकिल की मांग पूरी न होने के कारण बन्दी व उसके परिवार वाले संगीता के साथ मारपीट कर प्रताडित करते थे। दिनांक 10-09-2010 को बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर अपनी पत्नी संगीता की गला दबाकर हत्या की। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1154/2010 में भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी/34 एवं धारा-4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश- कोर्ट संख्या-35, बाराबंकी के आदेश दिनांक 29.10.2011 द्वारा 10 वर्ष सश्रम कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है जिसे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 17.06.2017 तक 06 वर्ष 09 माह 07 दिन की अपरिहार सजा तथा 08 वर्ष 03 माह 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा दहेज में मोटरसाईकिल की मांग पूरी न होने के कारण बन्दी उसके परिवार वाले सगीता के साथ मारपीट कर प्रताडित करते थे। दिनांक 10-09-2010 को बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर अपनी पत्नी संगीता की गला दबाकर हत्या की। बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी द्वारा अपनी पत्नी का गला दवाकर हत्या करने का जघन्य अपराध् कारित किया गया है। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी रंजीत यादव पुत्र श्री रूप नरायन यादव को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in